

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 35/2019

1- किशनी देवी पत्नी अन्नाराम जाति जाट निवासी सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्त

बनाम

1-तहसीलदार लाडनूं, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।


अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, लाडनूं, मुकदमा नं०
03/19 बअनुवान राजस्थान सरकार जरिये प०ह० सुनारी बनाम किशनी देवी
निर्णय दिनांक 29.04.2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956


अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
निर्णय

दिनांक : 09.03.21

{1} --यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं० 03/2019 बअनुवान पटवारी हल्का सुनारी बनाम किशनी देवी में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 के विरुद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने अपीलान्त/अप्रार्थीया के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थीया ने मौजा ग्राम सुनारी के खसरा नम्बर 456 रकबा 04.04 बीघा किस्म गै०मु० रास्ते की भूमि में से 07 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा सुनारी के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 बीघा किस्म गैर मु० रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीया को अतिक्रमी माना जाकर मौजा सुनारी के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत् 2075 की वार्षिक लगान दर 0.45 रुपये के 50 गुणा से जुर्माना रुपये 8/- अक्षरे आठ रुपये कायम किया गया व अपीलान्ट/अप्रार्थीया से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का को भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 12.06.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 12.06.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/450 दिनांक 13.06.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

{3} -वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-

{3}(1)-यह है अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है।, अतः आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।



ke
अतिरिक्त जिला न्यायालय
डीडवाना

{3}(2) --यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वास्तव्याती भूल की है, अतः आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) -- यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है, अतः आदेश अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) -- यह है अपीलान्त को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही विधिवत नोटिस दिया गया, जो कि एक तरफा कार्यवाही की गई, जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये नहीं की गई है।


{3}(5) --यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं तथा अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) --यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(7) -- यह है कि पटवारी हल्का ने जो रास्ता बताया गया है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो है और ना ही था।

{3}(8) -- यह है कि अपीलान्त को उक्त निर्णय की कभी कोई जानकारी नहीं रही है एवम दिनांक 27.05.2019 को आर.आई. द्वारा मौखिक रूप से कहने पर निर्णय की जानकारी हुई, जिससे न्यायालय से दिनांक 27.05.2019 को नकल निर्णय प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ, जिससे उक्त अपील अन्दर मयाद है एवम डिले कन्डोन के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अपील अपीलान्त ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 03/2019 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुनारी बनाम किशानी देवी में निर्णय दिनांक 29.04.2019 खारीज किया जाकर उक्त अपील को स्वीकार किया जावें।




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना


{4} - बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सुनारी की रिपोर्ट, जिसकी जाँच भू0अ0निरीक्षक भरनावा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सुनारी, के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि बन्द कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी/अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्त/अपीलार्थी का नोटिस तामील होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ। अपीलान्त/अपीलार्थी बाद सूचना के अनुपस्थित हुआ जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्त ने जानबुझकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल लायी गयीं जो सही है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। जो सार्वजनिक प्रयोग में आती है। उक्त अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्त को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।


∴ आदेश ∴


अतः अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2019 यथावत रखा जाता है।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)